

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /1856/2023

दिनांक : 12.06.2023

डॉ. मनीष हरजाई (RJ00719), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (रेल्वेज), कोटा को दिनांक 16.05.2023 से 18.05.2023 तक 03 दिनों का प्रावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. हरजाई की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (रेल्वेज) कोटा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रर (वर्गीकरण)
09.06.2023

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/02/2013/ 3957

दिनांक 12.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 4767 दिनांक 25.05.2023 के सन्दर्भ में।
- डॉ. मनीष हरजाई (RJ0719), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (रेल्वेज) कोटा।
- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (रेल्वेज) कोटा।
- अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-05, कोटा।

12.06.2023
सहायक रजिस्ट्रार